संख्या-72/2025/001-746-24-1-2025-1797-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा के0एफ0डब्ल्यू0 से स्वीकृत ऋण धनराशि के सापेक्ष याचित दावोंमें मुद्रा विनियम के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति किये जाने के वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-168/एफ0एम0/निधि-I/ट्रांस्को/426/2025-26/2024, दिनांक 14 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु के0एफ0डब्ल्यू0 से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को ऋण हेतु लेखाशीर्ष-6801-190-03-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 891,26,00,000/- (रूपये आठ सौ इक्यांनवे करोड़ छब्बीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 481,26,30,650/- (रूपये चार सौ इक्यासी करोड़ छब्बीस लाख तीस हजार छः सौ पचास मात्र) में से मुद्रा विनिमय के कारण हुए लाभ को समायोजित करते हुए धनराशि रूपये 114,35,45,000/- (रूपये एक सौ चौदह करोड़ पैंतीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) व्यय करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) इस संबंध में भारत सरकार से संपर्क कर संतुष्ट हों लें कि RBI में प्राप्त धनराशि की तिथि प्रश्नगत स्वीकृत आदेश की ही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,14,35,45,000 (रुपये एक अरब चौदह करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 6801001900300 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु के.एफ.डब्लू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन को ऋण मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-45-X-2025-26-दिनांक:4-9-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-72/2025/001-746(1)-24-1-2025-1797-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।